-प्रेस नोट-

दिनांक- 02.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की सोलर प्लेटो सहित 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी की गयी कुल 18 सोलर प्लेटे (अनुमानित कीमत करीब 2,16,000 रूपये), घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन एवं 5200/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी फतेहपुर श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 01.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 02 शातिर **अभियुक्तगण 1. आकाश पुत्र यशपाल नि0 ग्राम सिम्भालकी गुर्जर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व 2. अरविन्द पुत्र ऋषिपाल नि0 ग्राम सिम्भालकी गुर्जर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को बड़कला फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिकअपट वाहन रजि0 नं0 UP11CT9825 से 04 सोलर प्लेट मौके से बरामद हुई एवं 14 अन्य सोलर प्लेटो को अभियुक्तगण की निशादेही पर बरामद किया गया एवं दो अलग अलग घटनाओ के कुल 5200 रूपये भी बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 172/25 धारा 317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि यह 18 सोलर प्लेटे हम लोगो ने अपने दो अन्य साथियो के साथ मिलकर दो तीन दिन पहले ग्राम भलस्वा गाज बिन्दुखड़क रोड थाना झबरेड़ा हरिद्वार में बन रहे सोलर प्लांट से चोरी की थी (**जिसके सम्बन्ध में थाना झबरेड़ा जनपद हरिद्वार पर मु0अ0सं0 252/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत होना पाया गया है**)। जिनमें से 04 सोलर प्लेटे आज हम दोनो बेचने जा रहे थे। इसके अतिरिक्त करीब दो माह पहले ग्राम कलालटी के सचिवालय से ताला तोड़कर चोरी की गयी चोरी करने का भी इकबाल किया जिसके सामान को बेचकर दोनो के हिस्से में आये रूपये में से 3500 रूपये एवं करीब डेढ माह पूर्व ग्राम हरौड़ा गागलहेड़ी के जंगल में बने प्लान्ट से हम दोनो द्वारा मिलकर सोलर प्लेट व बैटरा चोरी कर बेचने के बाद 1700 रूपये हमारे पास बचे थे जो आपको हमारे पास से मिले है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. आकाश पुत्र यशपाल नि0 ग्राम सिम्भालकी गुर्जर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. अरविन्द पुत्र ऋषिपाल नि0 ग्राम सिम्भालकी गुर्जर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 18 अदद सोलर प्लेट (4X8 फुट)- अनुमानित कीमत करीब 2,16000 रूपये
- 01 पिकअप गाड़ी रजि0नं0 UP11CT9825 (घटना में प्रयुक्त)
- 3500 रूपये नगद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 103/25 धारा 324(3)/305(e) बीएनएस थाना फतेहपुर)
- 1700 रूपये नगद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 139/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना गागलहेड़ी)

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 252/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना झबरेड़ा जनपद हरिद्वार

2. मु0अ0सं0 139/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 103/2025 धारा 324(3)/305(e) बीएनएस थाना गागलहेड़ी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री भूपेन्द्र शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री शुभम चौधरी थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. है0का0 738 विनोद थाना फतेहपुर सहारनपुर
6. हैड का0 961 रोहित कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
7. हैड का0 24 सुनील थाना फतेहपुर सहारनपुर
8. हैड का0 303 विजय मलिक थाना फतेहपुर सहारनपुर
9. का0 1551 अमित थाना फतेहपुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 02.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड में 02 शातिर हिस्ट्रीशीटर/गौकश/अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचा, 04 जिंदा/02 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर व गौकशी के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर श्री अजय कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 02.08.2025 की रात्रि को उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर मय पुलिस टीम के ग्राम रायपुर मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग कर रहे थे तभी ग्राम नौसेरा की तरफ से एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिए जो संदिग्ध प्रतीत होने पर उनको रुकने का इशारा किया परन्तु वह नही रुके और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करके ग्राम शाहपुर बाँस के रास्ते से गांव की ओर भागने लगे। तभी सामने से चौकी हथनीकुण्ड प्रभारी उ0नि0 श्री सत्येन्द्र शर्मा मय पुलिस टीम के सामने से आ जाने उक्त बदमाशों ने मोटरसाइकिल बाजपुर स्टोन क्रेशर की ओर जंगल में मोड़ दी जिससे मोटरसाइकिल फिसल गयी एवं दोनों बदमाश मोटरसाइकिल सहित गिर गये। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो बदमाशों ने झुण्ड व पत्थरों की आड़ में पुनः दोनों बदमाशों पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु की गई जवाबी फायरिंग मे दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गये जिसकों मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाशों की पहचान **1. जावेद पुत्र रहीश निवासी की रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** जिसके बायें पैर में गोली लगी है व **2.नदीम पुत्र समीम निवासी रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** जिसके दाहिने पैर में गोली गली है के रूप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल बदमाश थाना नागल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 200/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट का वांछित अभियुक्त है। अभियुक्त के **कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर, 04 जिंदा/02 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट) व गोकशी के उपकरण (कुल्हाड़ी/छुरी/रस्सी आदि)** बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरुद्ध मिर्जापुर पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 121/2025 धारा 109(1)बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार/घायल अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- पूछताछ पर अभियुक्तगणो द्वारा बताया गया कि सहाब हम रात्री मे आवारा गौवंशी पशुओ को पकडकर गौकशी कर उनके मांस को बेचकर पैसे कमाते है आज भी हम लोग आवारा गौवंशी पशुओ की तालाश मे निकले थे पशु मिलने पर हम गौकशी कर मांस को बेच देते। चैकिंग मे आपको देखकर हम डर गये ओर पकडे जाने के डर पुलिस पर फायरिंग कर दी साहब गलती हो गयी आइन्दा ऐसा नही करेगे

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. जावेद पुत्र रहीश निवासी की रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. नदीम पुत्र समीम निवासी रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 मो0सा0 स्पलैण्डर बिना नम्बर रंग सिल्वर
02 तमंचा 315 बोर मय 04जिन्दा/02खोखा कारतूस 315 बोर
गौकशी करने के उपकरण (कुल्हाडी/छुरी/रस्सी आदि)

अभियुक्त जावेद पुत्र रहीश उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 182/19 धारा 5ए/8/सीएसएक्ट व 11 पशुक्रुरता अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 13/2021 धारा 110 जी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 003/22 धारा 3/5/8 सीएसएक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 56/22 धारा 2/3 गैगएक्ट एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 334/22 धारा 323/324/427/506 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 10/23 धारा 3/5/8 सीएसएक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 154/23 धारा2/3 गैगएक्ट एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त नदीम पुत्र समीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 136 /21 धारा 60/63 आ0 अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 247/21 धारा 4/25 आमर्स एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
3. मुअ0स0 22/22 धारा 3/5क/8 सीएसएक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 23/22 धारा 307 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 108/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 154/23 धारा 2/3 गैगएक्ट एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0स0 10/2023 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल थाना मिर्जापुर सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा थाना मिर्जापुर सहारनपुर
4. है0का0 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर सहारनपुर
5. है0का0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर सहारनपुर
6. है0का0 462 विपिन गहलौत थाना मिर्जापुर सहारनपुर
7. का0 186 विमल कुमांर थाना मिर्जापुर सहारनपुर

दिनांक 02.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित नकबजन/अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया 01 गैस सिलेण्डर, 01 जोडी पाजेब व घटना मे प्रयुक्त टेम्पो बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 29.07.2025 को वादी श्री दीपक चौधरी पुत्र सुशील चौधरी निवासी जान विहार कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक मोबाइल आई फोन-15 (एप्पल कम्पनी), एक मोबाइल रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स (एमआई कम्पनी), मंगलसूत्र, 04 चाँदी की पाजेब, 01 रसोई गैस सिलेण्डर चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 290/25 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था। दिनांक 01.08.2025 को अभियुक्तगण सारिक पुत्र मौ0 ताहिर निवासी रासिद गार्डन कालोनी 62 फुटा रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर व 2.मन्जीर पुत्र इसरार निवासी सलमान कालोनी सिम्बल के पास थाना मण्डी सहारनपुर गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में जेल भेजा जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित नकबजन/**अभियुक्त धर्मवीर उर्फ संजीव पुत्र रामपाल निवासी वर्धमान कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को पुराने कलसिया रोड से जैन इन्टर कालेज के पीछे बराबर वाले रास्ते से गिरफ्तार किये गये। अभियुक्त के कब्जे से एक गैस सलैण्डर (भारतगैस), एक जौडी पायजेब व घटना मे प्रयुक्त एक अदद टेम्पो नं0 UP11DT5085 बरामद। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोकत में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि दिनांक 29.07.2025 को सुबह 2 से 3 बजे के बीच मैने व मेरे अपने दो साथियों के साथ मिलकर ज्ञान विहार कालोनी मे एक मकान से चोरी की थी जिसमे से मेरे हिस्से मे एक जोडी पायजेब व गैस सलैण्डर आया था जिसे मै आज इस टेम्पो से बेचने जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

धर्मवीर उर्फ संजीव पुत्र रामपाल निवासी वर्धमान कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

- एक गैस सलैण्डर (भारतगैस)
- एक जौडी पायजेब
- घटना मे प्रयुक्त टेम्पो नं0 UP11DT5085 बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 2402 हरिओम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:02.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त **मुन्तजिर पुत्र सूफी इस्लाम निवासी ताज कालोनी थाना मण्डी, जनपद सहारनपुर** को एनबीडब्लू वाद स0- 2102/20 धारा 427 भादवि नियत दिनांक 25/08/25 चालानी थाना कोतवाली मण्डी स0पुर (न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर) को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुन्तजिर पुत्र सूफी इस्लाम निवासी ताज कालोनी थाना मण्डी, जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 477 विनोद कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. है0का0 157 संदीप कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 02.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 वारण्टी **अभियुक्त कृष्णपाल उर्फ कन्हैया पुत्र शीशराम निवासी ग्राम छछरौली थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 2046/22 व मु0अ0सं0 208/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में ग्राम छछरौली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पताः-

कृष्णपाल उर्फ कन्हैया पुत्र शीशराम निवासी ग्राम छछरौली थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री जयवीर सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 426 देवेन्द्र बालियान थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांक: 02.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर हिन्दु धर्म के विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 01.08.2025 को वादी श्री राजेश कुमार पुत्र देव शर्मा निवासी ग्राम जडौदा पाण्डा थाना बडगांव जनपद सहानपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सुवेब पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम जडौदा पाण्डा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर द्वारा सोशल मीडिया पर हिन्दु धर्म के विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने, हिन्दुओ के खिलाफ भडकाऊ भाषण देने तथा हिन्दुओ को काफिर बताकर गर्दन उडाने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बड़गांव पर मु0अ0सं0 152/25 धारा 196(1)/353(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर शीघ्र अति शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एव वाँछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त सुहेल पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम जडौदा पाण्डा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** को सिंचाई विभाग के पुराने बंगले बाह्द ग्राम जडौदा पाण्डा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद। अभियुक्त ने पूछताछ पर अपना नाम सुवेब के स्थान पर सुहेल बताया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 154/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

सुहेल पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम जडौदा पाण्डा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सुहेल का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 152/25 धारा 196(1)/353(2) बीएनएस थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 154/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री ब्रह्मगिरी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4. हे0कां0 638 अमित कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5. का0 1569 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 02.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिग/गस्त के दौरान **04 वारण्टी अभियुक्तगण 1. आमिर पुत्र शमशाद निवासी शेखपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बंधित वाद संख्या 6196/25 धारा 498ए, 323,506 भादवि चालानी थाना चिलकाना में, **2. दिलशाद पुत्र शमशदा निवासी शेखपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 6196/25 धारा 498ए, 323,506 भादवि चालानी थाना चिलकाना में, **3. अभियुक्त इरशाद उर्फ जैकी पुत्र कुरबान निवासी ग्राम पिंजौरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 1091/2021 व मु0अ0सं0 231/18 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट चालानी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर में व **4. कामिल पुत्र रहीश निवासी जाटव नगर थाना कुतुबुशेर जनपद सहारनपुर हाल पता दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 354/19 व मु0अ0सं0 552/18 धारा 376,511,506 भादवि चालानी थाना कोतवाली देहात में जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. आमिर पुत्र शमशाद निवासी शेखपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. दिलशाद पुत्र शमशदा निवासी शेखपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. इरशाद उर्फ जैकी पुत्र कुरबान निवासी ग्राम पिंजौरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
4. कामिल पुत्र रहीश निवासी जाटव नगर थाना कुतुबुशेर जनपद सहारनपुर हाल पता दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री बलवीर सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 526 सनोवर ताज थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
5. का0 1718 अंकित धारा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
6. का0 1253 अनिरुद्ध खोखर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 02.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा मंगलसूत्र छिनकर ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार, किया गया ,कब्जे मंगसुत्र बरामद

अवगत कराना है कि दिनाक 01.08.2025 को वादी श्री पिन्टू पुत्र जगबीरा निवासी ग्राम पाडली खुशहालपुर थाना जनकपुरी सहारनपुर की भाभी से पहने मंगलसूत्र को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा झपट्टा मारकर छीनकर ले जाने के सम्बन्ध मे वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0 316/2025 धारा- (2)304/317(2) बीएनएस मे पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेत्तृव में दिनांक 02.08.25 को थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **आसु उर्फ आस मोहम्मद पुत्र मतलूब निवासी मौहल्ला पठानपुर ग्राम मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर** को ग्राम मल्हीपुर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से छिना गया मंगलसूत्र बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.आसु उर्फ आस मोहम्मद पुत्र मतलूब निवासी मौहल्ला पठानपुर ग्राम मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

01 मंगलसूत्र पीली धातु

अभियुक्त आसु उर्फ आस मोहम्मद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 101/25 धारा 298,353 (3) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 42/2024 धारा- 380,411,457 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 316/2025 धारा- (2)304/317(2) बीएनएस थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिहं थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सुभाषचन्द थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 190 मदनजीत थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 02.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार,सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग मे वांछित 02 अभियुक्तगणो को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 30.07.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण दीपक व सौरव द्वारा वादिया के साथ सामूहिक रूप से गलत काम करना तथा मारपीट करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 347/25 धारा 70(1)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्तगण 1.दीपक कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी अम्बेहटा चांद थाना बडगांव जनपद सहारनपुर 2. सौरभ कुमार पुत्र बाबू राम निवासी अम्बेहटा चांद थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** को आईटीसी रोड पर रेलवे खण्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. दीपक कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी अम्बेहटा चांद थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. सौरभ कुमार पुत्र बाबू राम निवासी अम्बेहटा चांद थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री सुरेशवीर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 159 गौरव थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 460 प्रमोद थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 02.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के तहत माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जुआ अधिनियम के कुल 23 मुकदमों से संबंधित माल का विनिष्टीकरण कर निस्तारण किया गया एवं कुल 22,290/- रुपये धनराशि को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन क्लीन"** के तहत माननीय न्यायालय जेएम देवबन्द, सहारनपुर के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी गंगोह श्री शशि प्रकाश शर्मा व डा0 पूर्वा शर्मा उप जिलाधिकारी रामपुर मनिहारन महोदया की अध्यक्षता में एवं थाना प्रभारी नानौता श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं श्री मनोज यादव अभियोजन अधिकारी, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में तथा हैड मोहर्रिर 118 विपुल कुमार की मौजूदगी में आज दिनांक 02.08.2025 को जुआ अधिनियम से सम्बन्धित 23 मुकदमों के माल को खुलवाकर गत्ता पर्चा सट्टा पैन व ताश के पत्तो को जलाकर विनिष्टीकरण कराकर कुल 23 मालों का निस्तारण कराया गया एवं कुल 22,290/- रुपये की धनराशि को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

विनष्टीकरण किये गये जुआ अधि0 के मालो का विवरणः-

- 23 माल मुकदमाती जुआ अधिनियम से संबंधित

निस्तारण कराने वाली टीम का विवरणः-

1. डा0 पूर्वा शर्मा, उप जिलाधिकारी रामपुर मनिहारन, सहारनपुर।
2. श्री शशि प्रकाश शर्मा, क्षेत्राधिकारी-गंगोह , सहारनपुर।
3. श्री मनोज यादव, अभियोजन अधिकारी , सहारनपुर।
4. श्री धर्मेन्द्र कुमार, थानाध्यक्ष थाना नानौता , जनपद सहारनपुर।
5. हैड मोहर्रिर 118 विपुल कुमार थाना नानौता सहारनपुर।

दिनांक: 02.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि दिनाक 08.12.24 को वादी श्री योगेश पुत्र महीपाल निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान के गेट से वादी की मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0 न0 UP 11 AN 2739 व मोटरसाइकिल पर थैले मे रखा मोबाइल विवो चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 471/24 धारा 303(2) BNS के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेत्तृव में आज दिनांक 02.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये 01 वांछित **अभियुक्त हासिम पुत्र असगर अली नि0 अहमद कालोनी निकट फरीदा मस्जिद थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को थाना क्षेत्र कोतवाली देहात से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर चोरी गयी मोटरसाइकिल, 01 फर्जी नम्बर प्लेट व 01 मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2)/336(2) की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हासिम पुत्र असगर अली नि0 अहमद कालोनी निकट फरीदा मस्जिद थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 चोरी गयी मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस (रजि0 न0 UP 11 AN 2739)
- 01 चोरी गया मोबाइल फोन वीवो कम्पनी
- 01 फर्जी नम्बर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
3. है0का0 1033 प्रवीण कुमार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक – 02.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-09 जनपद सहारनपुर द्वारा आर्म्स एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 03 हजार रूपये अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 26.06.2019 को वादी उनि0 श्री यशपाल सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त नफीस उर्फ काला पुत्र अययूब नि0 सैययद माजरा थाना गागलहेडी जनपद सहारपुर के कब्जे से 01 नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-197/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया । जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-528/2023 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-9 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-09 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 02.08.2025 को अभियुक्त नफीस उर्फ काला पुत्र अययूब नि0 सैययद माजरा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-197/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 03 साल का कठोर कारावास व 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया ।

नोट- अभियुक्त 1.नफीस उर्फ काला पुत्र अययूब नि0 सैययद माजरा थाना गागलहेडी जनपद सहारपुर को मु0अ0सं0-196/2019 धारा 307 भादवि में मा0 न्यायालय एडीजे-9 से दोषमुक्त किया गया ।

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री नीरज चौहान
विवेचक- उपनिरीक्षक श्री गौरव चौहान
पैरोकार-का0 1360 रजनीश तोमर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर